न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 46/2011 (राजसमन्द आर्डर)

मु॰ इन्द्रादेवी पत्नी स्वर्गीय रूपलाल जी कोठारी, निवासी घाटा हाल मुकाम नई रोड़, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. रोशनलाल पिता छगनलालजी कोठारी, निवासी घाटा (मृतक) के बजाय :–

1/1. श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व॰ रोशनलाल जी कोठारी, निवासी घाटा, तहसील कुम्भलगढ़ हाल मुकाम प्लाट नंबर 324, सेक्टर नंबर 1, घनसोली, नवी मुम्बई 200701 (महाराष्ट्र)

1/2. पवन पिता स्व॰ रोशनलाल जी कोठारी, निवासी घाटा, तहसील कुम्भलगढ़ हाल मुकाम प्लाट नंबर 324, सेक्टर नंबर 1, घनसोली, नवी मुम्बई 200701 (महाराष्ट्र)

1/3. रमेश पिता स्व॰ रोशनलाल जी कोठारी, निवासी घाटा, तहसील कुम्भलगढ़ हाल मुकाम प्लाट नंबर 324, सेक्टर नंबर 1, घनसोली, नवी मुम्बई 200701 (महाराष्ट्र)

1/4. चन्द्रा पुत्री स्व॰ रोशनलाल जी कोठारी, निवासी घाटा, तहसील कुम्भलगढ़ हाल मुकाम प्लाट नंबर 324, सेक्टर नंबर 1, घनसोली, नवी मुम्बई 200701 (महाराष्ट्र)

1/5. मधु पुत्री स्व॰ रोशनलाल जी कोठारी, निवासी घाटा, तहसील कुम्भलगढ़ हाल मुकाम प्लाट नंबर 324, सेक्टर नंबर 1, घनसोली, नवी मुम्बई 200701 (महाराष्ट्र)

2. मु॰ हंजा बाई पुत्री छगनलाल जी कोठारी पत्नी कुन्दनमल जी कोठारी, निवासी रिछेड़, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

3. मु॰ राजी बाई पुत्री छगनलाल जी कोठारी पत्नी स्व॰ बंशीलाल जी जैन, निवासी पगारिया भवन, तेरापंथी भवन के पास, कांकरोली, राजसमन्द।

4. मु॰ धापू बाई पत्नी स्वर्गीय शंकरलाल जी कोठारी, निवासी नई रोड़, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

5. ख्यालीलाल पिता स्वर्गीय शंकरलाल जी कोठारी, निवासी नई रोड़, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

6. गणपतलाल पिता स्वर्गीय शंकरलाल जी कोठारी, निवासी नई रोड़, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. मदनलाल पिता स्वर्गीय शंकरलाल जी कोठारी, निवासी नई रोड़, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
8. श्रीमती मांगु बाई पुत्री स्वर्गीय शंकरलाल जी कोठारी पत्नी रमेश कुमार मेहता, निवासी पथ नगर, घाटकोपर (ईस्ट) मुम्बई 86
9. श्रीमती पुष्पा बाई पुत्री स्वर्गीय शंकरलाल जी कोठारी पत्नी बाबूलाल जी कोठारी, निवासी नाला–सोपाला (वेस्ट) जिला थाना (महाराष्ट्र)
10. भगवतीलाल पिता स्वर्गीय मूलचन्द जी कोठारी, निवासी नई हवेली, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
11. श्रीमती भावना पुत्री स्वर्गीय मूलचन्द जी कोठारी पत्नी अशोक कुमार, निवासी पोटला, तहसील गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)
12. सुश्री दीपिका पुत्री स्वर्गीय मूलचन्द जी कोठारी, नाबालिग जरिये संरक्षक भ्राता, भगवतीलाल निवासी नई हवेली, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
13. भरत पिता रूपलाल जी कोठारी, निवासी नई रोड़, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
14. कमलेश पिता रूपलाल जी कोठारी, निवासी नई रोड़, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
15. राकेश उर्फ मनीष पिता रूपलाल जी कोठारी, निवासी नई रोड़, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
16. मनोहर पिता रूपलाल जी कोठारी, निवासी नई रोड़, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
17. सोहनलाल पिता जीतमल जी महाजन, निवासी फरारा, तहसील राजसमन्द, हाल मुकाम नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
18. श्रीमती कस्तूर बाई पत्नी अम्बालाल जी लोढ़ा, निवासी बडा भाणुजा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
19. दिनेश कुमार पिता अम्बालाल जी लोढ़ा, निवासी बडा भाणुजा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
20. गोपीलाल पिता मगनलाल जी महाजन, निवासी भानसोल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
21. मु॰ कंचन देवी पत्नी बाबूलाल जी बोहरा, निवासी मोलेला, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

22. गोकलचन्द पिता पन्नालाल जी बापना, निवासी नई रोड़, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

23. श्रीमती कंचन देवी पत्नी भगवतीलाल जैन, निवासी नई रोड़, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

24. श्रीमती उमा कुमारी पत्नी नरेन्द्र कुमार जी पोरवाल, निवासी नई रोड़, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

25. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी उत्तमचन्द जैन, निवासी नई रोड़, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

26. मु॰ बसन्ती बाई पत्नी उदयलाल लखारा के बजाय :–

26/1. देवीलाल लखारा पिता उदयलाल जी लखारा, निवासी नई रोड़, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

27. गोपाल पिता डालचन्द जी लखारा, निवासी नई रोड़, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

28. श्रीमती अम्बा बाई पत्नी किशनलाल जी लखारा के बजाय :–

28/1. गोविन्द लखारा पिता किशनलाल जी लखारा, निवासी नई रोड़, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

29. श्रीमती संतोषी बाई पुत्री शंकरलाल जी लखारा, निवासी नई रोड़, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

30. गोवर्धनलाल पिता वरदीचन्द जी राठौड़, निवासी कोशिवाड़ा हाल मुकाम राठौड़ ज्वैलर्स, रेल्वे स्टेशन के पास, कोलीवाड़ा, मुम्बई 02 (महाराष्ट्र)

31. भूरीलाल पिता पृथ्वीराज जी डागलिया के बजाय :–

31/1. मनोहरलाल पिता भूरीलाल जी डागलिया, निवासी पंचायती नोहरे के पास, कोशिवाड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

32. भैरूलाल पिता अम्बालाल जी डागलिया, निवासी कोशिवाड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

33. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा
दिनांक 28.02.2011 प्र॰सं॰ 30/2003

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री गरीश तिवारी अभिभाषक अपीलान्ट

2. श्री विश्वजीतसिंह कर्णावत अभि.रे. 1/1 से 1/5

3. राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 33

———::———

निर्णय **दिनांक 26–03–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा छगनलाल व अपीलान्ट तथा अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 अनुसार है। मूल पुरूष देवजी के पुत्र प्रेमचन्द्र होकर प्रेमचन्द के पुत्र छगनलाल हुए तथा छगनलाल के प्रार्थी रतनलाल व विपक्षी शंकरलाल, रूपलाल व मूलचन्द हुए तथा रूपलाल फोत होकर उसके वारिस विपक्षी इन्द्रा देवी, भरत, कमल, राकेश व मनोहर हुए। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 6 में वर्णित आराजी नंबर 1343, 1344, 1345, 1347, 1348 व 1357 कुल किता 6 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि ग्राम नाथद्वारा में स्थित है। विवादित आराजियात प्रतिवादी/विपक्षी संख्या 1 यानि छगनलाल जी द्वारा शामलाती कुटुम्ब की आय से व वादी/प्रार्थी की कमायी हुई आम से खरीदी थी। प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 से 8 संयुक्त हिन्दु परिवार हैं तथा विपक्षी संख्या 1 कर्ता खानदान है इसलिए भूमि उसके नाम से क्रय की गयी, परन्तु भूमि पर कब्जा शामलाती है। उक्त पैत्रृक भूमि में वादी/प्रार्थी का 1/5 हिस्सा होकर बंटवाड़े कराने का अधिकारी है, लेकिन प्रतिवादी/विपक्षीगण बंटवाड़े से इंकार करते हैं तथा बेजा दखलन्दाजी करते हैं। निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि उक्त भूमियों को विपक्षीगण किसी को रहन, बेह नहीं करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

विपक्षी संख्या 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20 व 21 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विवादित भूमि छगनलाल जी के स्वतंत्र स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर उनके खातेदारी की भूमि है तथा क्रय दिनांक को प्रार्थी अल्प वयस्क था और पूर्ण रूप से अपने पिता पर निर्भर था। प्रार्थी के पिता ने अपने स्वतंत्र खातेदारी की भूमि विक्रय की है, जो उनके हक अधिकार का

विषय है एवं कई क्रेताओं ने अपने भूमियों पर निर्माण करवा लिये हैं। आराजी नंबर 1357 के क्रेतागण में श्री गोपीलाल ने अपने हिस्से की भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ दिनांक 30–12–1885 को रूपान्तरण करवा लिया है। इसी तरह मूलचन्द ने भी दिनांक 17–05–1988 को अपने हिस्से की भूमि का रूपान्तरण करवा लिया है। रूपलाल पिता छगनलाल की मृत्यु के बाद उनके हिस्से की भूमि को उनकी पत्नी इन्द्रादेवी ने दिनांक 09–09–1991 को आवासीय रूपान्तरण करवा लिया है। अतएवं आराजी नंबर 1357 पूर्ण रूप से आबादी में रूपान्तरित हो चुकी है, जिस भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। विवादित भूमि छगनलाल जी की स्वअर्जित होकर उनके जीवनकाल में प्रार्थी को किसी प्रकार के हक अधिकारों के संबंध में एजरात करने व रूकावट करने का अधिकार नहीं है। ताईद में विपक्षी संख्या 1 छगनलाल ने शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

विपक्षी संख्या 1 से 4 की ओर से भी खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात परिवार की शामलाती आय से क्रय नहीं की गयी है, बल्कि विपक्षी संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति है, जिसमें प्रार्थी का कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थी संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य नहीं है तथा 30 वर्षो से मुम्बई में रहकर व्यवसाय करता है। प्रार्थी ने क्रय के समय कोई रूपया नहीं दिया, बल्कि क्रय दिनांक को वादी/प्रार्थी नाबालिग था। विपक्षी संख्या 1 ने कभी भी कोई लिखतम प्रार्थी के पक्ष में नहीं की है। विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि का खातेदार होकर काबिज है। अतएवं प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 28–02–2011 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूलवाद के निर्णय तक विवादित भूमि के राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 4 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 11–05–2011 को पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 से 1/5 प्रार्थी के वारिसान की ओर से वकील श्री विश्वजीत सिंह कर्णावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 33 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण

बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। दौराने कार्यवाही रेस्पोन्डेन्ट संख्या 31 के विरूद्ध कार्यवाही दिनांक 11–10–2017 को अबेट की गयी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट से अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से यह उजर लिया गया कि अधिनस्थ न्यायालय विवादित भूमि अपीलान्ट के ससुर स्वर्गीय छगनलाल जी की स्वअर्जित है, जो उन्होंने वर्ष 1950 व 1953 में दो अलग–अलग विक्रय पत्रों से श्री फतहलाल कोठारी से क्रय की, जिसके पुराने नंबर 759 से 764 थे, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने गम्भीरता से विचार किये बिना निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि क्रय करते समय प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की आयु मात्र 5–7 वर्ष थी अर्थात वक्त क्रय वह आजीविका अर्जित करने योग्य ही नहीं था। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने उसके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में भूल की है। पक्षकारान का सजरा अपील मीमों के कलम नंबर 2 में वर्णित अनुसार है। अपीलान्ट के पिता रूपलाल व ससुर छगनलाल जी की मृत्यु के बाद आराजी नंबर 1347–1348 का हिस्सा जरिये वसीयत अपीलान्ट को प्राप्त हुआ जो राजस्व अभिलेख में अपीलान्ट के नाम अंकित है। उक्त वसीयत में प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 रोशनलाल को कोई हिस्सा नहीं दिया गया है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध सहायक कलक्टर नाथद्वारा के यहां घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें 1/5 हिस्से की दाद इस आधार पर चाही है कि वादग्रस्त भूमि छगनलाल जी ने सामलाती कुटुम्ब की आय से क्रय की है, जिसके खण्डन का जवाबदावा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है एवं भूमि आवासीय रूपान्तरित होकर मकान बने होने का कथन किया है। अतएवं प्रार्थी/वादी बंटवाड़ा एवं घोषणा का अधिकारी नहीं है। उक्त वाद में वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक दस्तावेज इकरार दिनांक 15–12–1969 जो अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्प्ड है को द्वितीय साक्ष्य में ग्रहण करने हेतु प्रस्तुत किया है, जिसे विपक्षीगण की आपत्ति के बावजूद

अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23–08–2006 को साक्ष्य में ग्राह्य करने का आदेश पारित किया, जिसके विरूद्ध प्रतिवादीगण ने माननीय राजस्व मण्डल में रिवीजन प्रस्तुत किया, जिससे मूलवाद की पत्रावली वहां विचाराधीन है। अधिनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरता से अवलोकन नहीं किया है। अतएवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा अपास्त की जावे।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो प्रकरण में वस्तु स्थिति इस प्रकार प्रकट आयी की रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायलय में घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा तथा बंटवाड़े का वाद प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की चाही कि विवादित भूमि जो नगर नाथद्वारा में स्थित है, वह उनके पिता द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से क्रय की गयी है तथा यह भूमि परिवार की अन्य सम्पत्ति विक्रय की जाकर क्रय की गयी है अतएवं प्रार्थी का भी इसमें हक अधिकार है। अतएवं भूमियों में विपक्षी संख्या 1 जो प्रार्थी का पिता है, के विरूद्ध भूमियों को खुर्द–बुर्द नहीं किये जाने व उसके हितों की संरक्षा चाही तथा अपने पिता द्वारा निष्पादित किसी इकरारनामें का भी उल्लेख किया है। वहीं इसके विपरीत विपक्षी संख्या 1 छगनलाल व उनके अन्य वारिसान व उनके क्रेतागणों द्वारा खण्डन कर यह कथन किया गया कि विवादित भूमियां आबादी में दर्ज हो चुकी है। अतएवं इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं रहा है तथा भूमियां संयुक्त हिन्दु परिवार की आय से क्रय नहीं की गयी है एवं वक्त क्रय रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 अवयस्क था। अतएवं उसके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के लिए वांछित तीनों तत्वों पर कोई विवेचन नहीं किया है, बल्कि यह लिखा है कि ''पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नकल जमाबन्दी, दान–पत्र, रिपोर्ट पटवारी, इकरारनामा दिनांक 15–12–1969 के अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियां विपक्षी संख्या 1 श्री छगनलाल पिता प्रेमचन्द कोठारी जो फोत हो चुका है के नाम दर्ज नहीं रहना प्रकट होता है। वादग्रस्त भूमियों में से आराजी नंबर 1347 मी. रकबा 8 बिस्वा व 1348 मी. रकबा 14 बिस्वा भूमियां विपक्षी संख्या 1 द्वारा दान कर दी गयी हैं तथा कुछ भूमियां विक्रय हस्तान्तरण होकर तथा आबादी में रूपान्तरित होना प्रकट होता है। चूंकि

प्रार्थी श्री रोशनलाल विपक्षी संख्या 1 का पुत्र है तथा वादग्रस्त कृषि भूमियों में प्रार्थी का कोई स्वत्व हित अधिकार है या नहीं ? प्रार्थी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं बंटवाड़ा कराने का अधिकारी है या नहीं ? वादग्रस्त भूमियों में से कुछ भूमियों को रूपान्तरित करा दिया गया है जिससे वह कृषि भूमि नहीं रहने से वाद इस न्यायालय में चलने योग्य है या नहीं ? इसका निर्धारण मूलवाद में बाद शहादत/सबूत किया जावेगा। परन्तु यदि वादग्रस्त भूमियों को आगे और विक्रय/हस्तान्तरित कर दिया जावेगा तो प्रार्थी/वादी के वाद का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। इसलिए विपक्षीगण को मूलवाद के निर्णय तक राजस्व रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है।'''

अर्थात अधिनस्थ न्यायालय स्वयं यह स्वीकार करता है कि उक्त भूमियों में कतिपय भूमियां आबादी में रूपान्तरित हो चुकी हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को विपक्षी संख्या 1 का पुत्र होने के कारण उसके संभावित हक अधिकारों का भविष्य में वंचित किये जाने की संभावना के दृष्टिगत रेकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया है। प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के लिए विधि के सुस्थापित सिद्धान्त प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्तों पर कोई विवेचन नहीं किया है। प्रार्थी ने अपना प्रथम दृष्टया प्रकरण यह कह कर वर्णित किया है कि विवादित भूमियां संयुक्त परिवार की आय से क्रय की गयी हैं अर्थात वह स्वयं यह स्वीकार करता है कि भूमियां उसके पिता द्वारा क्रय की गयी हैं, इससे कोई निषेध नहीं है। विपक्षीगण के जवाब से भी यह स्पष्ट था कि भूमियां जब क्रय की गयी थी, तब प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 अवयस्क था। प्रार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उसके पिता द्वारा यह भूमियां मौरूसी सम्पत्तियों विक्रय कर क्रय की गयी हैं, किन्तु इस बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर किसी प्रकार की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में सिर्फ इन कयासी आधारों पर मान लिया है कि पिता पुत्र का प्रकरण होने से मूलवाद में उसके अधिकार तय होंगे, तब तक पिता द्वारा प्रार्थी को उसके हक अधिकारों से वंचित नहीं कर दिया जाये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग स्वेच्छाचारी पूर्वक किया है। किसी भी प्रकरण में

न्यायालय को न्यायिक विवेकाधिकार का उपयोग तर्क संगत आधारों पर करना चाहिए। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण उपलब्ध नहीं था, जिससे यह प्रकट होता हो कि प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है। अनरजिस्टर्ड एवं अनस्टाम्प्ड दस्तावेज से राजस्व न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर किसी प्रकार का विवेचन किये बिना ही प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय के सक्षम प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं थी।

द्वितीयता अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्वीकृत स्थिति थी कि कतिपय भूमियां आबादी में रूपान्तरित हो चुकी हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद दायरी से पूर्व दिनांक 09–09–1991 को आराजी नंबर 1357 का रूपान्तरण होने के तथ्य उपलब्ध थे। अर्थात वाद दायरी से पूर्व ही कतिपय भूमियां आबादी में रूपान्तरित हो चुकी थी तथा इस हेतु विपक्षीगण द्वारा प्लीडिंग्स भी की गयी थी। अर्थात जब कतिपय भूमियां विशुद्ध रूप से वाद दायरी से पूर्व राजस्व रेकार्ड में आबादी दर्ज थी तो अधिनस्थ न्यायालय का इस पर विचेचन करना चाहिए था, क्योंकि यदि कतिपय भूमियां आबादी में रूपान्तरित हो चुकी हैं तथा कतिपय कृषि भूमियां हैं तो ऐसे स्थिति में भू–राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्रथम दृष्टया नहीं माना जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की प्लीडिंग्स एवं साक्ष्य उपलब्ध होने के बाजवूद भी उसे नजर अंदाज करते हुए प्रकरण में रेकार्डेड खातेदारी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी है।

समग्र रूप से हम यह पाते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का प्रथम दृष्टया प्रकरण माने जाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं थी, इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने सिर्फ कयासी आधारों पर रेकार्डेड खातेदार को उसके विधिक अधिकारों से वंचित करने के लिए जो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है उसे हम प्रथम दृष्टया उचित नहीं पाते हैं। प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा न्यायिक नजीर डब्ल्यू.एल.सी. 2016 पेज 39, ए.आई.आर. 2010 सुप्रिम कोर्ट पेज 3221 प्रस्तुत की है, जिनमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलीय न्यायालय को अधिनस्थ न्यायालय के विवेकाधीन अस्थाई निषेधाज्ञा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना

चाहिए, परन्तु अधिनस्थ न्यालय में उपरोक्त नजीरों के वर्णित तथ्य उपलब्ध ही नहीं हैं तथा इस प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिस न्यायिक विवेकाधिकार का उपयोग कर किसी विधिक अधिकारधारी व्यक्ति के विरूद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हुए भी उसे अपने अधिकारों से निषिद्ध करने का जो कृत्य किया है, वह प्रथम दृष्टया पेश शुदा रेस्पोन्डेन्ट की न्यायिक नजीरों के आधार पर उक्त न्यायिक विवेकाधिकार को कदापि उचित नहीं माना जा सकता। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम दृष्टया प्रकरण होने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था तथा क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित भी महत्वपूर्ण बिन्दु उपलब्ध था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए प्रकरण में प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी है, जो पूर्णतया विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटि पूर्ण होकर अपास्त योग्य है।

अतएवं **स्वीकार** की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28–02–2011 अपास्त किया जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26–03–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर